<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 1041/2024

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

महेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी-कामखेड़ा, पुलिस थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रतनलाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 18-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 406 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27-11-2024 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06-04-2024 को परिवादिया श्रीमति अनिता ने इस न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि उसका विवाह महेन्द्र के साथ हस्ब हिन्दू रिति रिवाजानुसार अर्सा 8-9 वर्ष पूर्व ग्राम मांगटा में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद ही उसका मुल्जिम महेन्द्र के साथ गौणा देकर के आती जाती कर दी थी तब से ही वह अपने पति धर्म का पालन करती चली आ रही थी। इसी दौरान उसके मुल्जिम महेन्द्र के नुत्फे से दो पुत्रियां चिंकी व धापू का जन्म हुआ परतु शुरू से ही मुल्जिमान का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं रहा आए दिन उसको दहेज के ताने मारते कि तेरे माता पिता ने विवाह में कुछ नहीं दिया है वे तो दूसरी औरत लावेंगे। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार उसको विवाह के समय दहेज का समस्त घर गृहस्थी का सामान देकर के विदा किया था। मुल्जिमान आए दिन उसके साथ बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते तथा उसके साथ आए दिन मारपीट कर दहेज में दो लाख रूपए की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते तथा मुल्जिम महेन्द्र आए दिन उससे कहता कि तेरे माता पिता ने उसे दहेज में कुछ भी सामान नहीं दिया है इसलिए तू तेरे पिता पिता से दहेज में उसे दो लाख रूपए नकद दिलवा ताकि वह उसका कर्जा चूका सके। इस प्रकार आए दिन उसको प्रताड़ित कर बार बार घर से भगा देते परन्तु उसके माता पिता उसको वापस समझा बुझा कर भेज देते। मुल्जिमान ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा उससे कहा कि हम तुझे नहीं रखेंगे दूसरी औरत लावेंगे तू तेरे बाप से हमें दहेज में दो लाख रूपए दिलवा तभी तुझे रखेंगे। उसने जब मुल्जिमान से कहा कि मेरे माता पिता गरीब लोग है तुम्हारी दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं इतना कहते ही मुल्जिम महेन्द्र उसके साथ हाथों लातों घुसों से मारपीट करने लग गया तथा मुल्जिमान ने उसको भला बुरा कहा कि और मुल्जिम महेन्द्र जबरन से उसको व उसकी पुत्रियों को मोटरसाईकिल से उसके पीहर में छोड़कर के चला गया

तथा उसके माता पिता से भी कहा कि उसे दहेज नहीं दिया तो वह तुम्हारी लड़की को नही रखेगा दूसरी औरत लाएगा। उसने मुल्जिमान से अपने माता पिता के द्वारा दिया गया स्त्रीधन मांगा तो उसे भी देने से मना कर दिया और उसका स्त्रीधन हड़प कर गए।,इत्यादि।

03- उपरोक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना अकलेरा को प्रेषित किया गया, जिसपर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 277/2024, अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इसी धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- हस्तगत प्रकरण में परिवादिया ने स्वैच्छया अभियुक्त से धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा करने बाबत एक प्रार्थनापत्र पेश किया, जो स्वीकार किया जाकर पृथक से तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अभियुक्त को राजीनामे के आधार पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा.दं.सं. में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अब प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. की हद तक विचारण शेष रहा।

06- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 अनिता, पी.डब्ल्यू. 02 भरतबाई, पी.डब्ल्यू. 03 देवीलाल, पी.डब्ल्यू. 04 पुरूषोतम को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत पी. 3 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

07- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को मिथ्या होना, स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना बताया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

08- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। मामले में स्वयं फरियादिया सहित अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य सभी गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1)- आया अभियुक्त ने दिनांक 06.04.2024 से करीब 8-9 वर्ष पूर्व को परिवादिया अनिता से विवाह होने व विवाह के पश्चात् उसका पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा कामखेड़ा स्थित स्वयं के निवास पर परिवादिया से दहेज में दो लाख रूपए की मांग को लेकर उसे ताने देकर, मारपीट कर, घर से निकालकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 498ए भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2)- यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण परिवादिया अनिता द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी. 01 पर आधारित है, जिसमें परिवादिया ने अंकित किया है कि उसका विवाह महेन्द्र के साथ हस्ब हिन्दू रिति रिवाजानुसार अर्सा 8-9 वर्ष पूर्व ग्राम मांगटा में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद ही उसका मुल्जिम महेन्द्र के साथ गौणा देकर के आती जाती कर दी थी तब से ही वह अपने पति धर्म का पालन करती चली आ रही थी। इसी दौरान उसके मुल्जिम महेन्द्र के नुत्फे से दो पुत्रियां चिंकी व धापू का जन्म हुआ परतु शुरू से ही मुल्जिमान का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं रहा आए दिन उसको दहेज के ताने मारते कि तेरे माता पिता ने विवाह में कुछ नहीं दिया है वे तो दूसरी औरत लावेंगे। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार उसको विवाह के समय दहेज का समस्त घर गृहस्थी का सामान देकर के विदा किया था। मुल्जिमान आए दिन उसके साथ बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते तथा उसके साथ आए दिन मारपीट कर दहेज में दो लाख रूपए की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते तथा मुल्जिम महेन्द्र आए दिन उससे कहता कि तेरे माता पिता ने उसे दहेज में कुछ भी सामान नहीं दिया है इसलिए तू तेरे पिता पिता से दहेज में उसे दो लाख रूपए नकद दिलवा ताकि वह उसका कर्जा चूका सके। इस प्रकार आए दिन उसको प्रताड़ित कर बार बार घर से भगा देते परन्तु उसके माता पिता उसको वापस समझा बुझा कर भेज देते। मुल्जिमान ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा उससे कहा कि हम तुझे नहीं रखेंगे दूसरी औरत लावेंगे तू तेरे बाप से हमें दहेज में दो लाख रूपए दिलवा तभी तुझे रखेंगे। उसने जब मुल्जिमान से कहा कि मेरे माता पिता गरीब लोग है तुम्हारी दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं इतना कहते ही मुल्जिम महेन्द्र उसके साथ हाथों लातों घुसों से मारपीट करने लग गया तथा मुल्जिमान ने उसको भला बुरा कहा कि और मुल्जिम महेन्द्र जबरन से उसको व उसकी पुत्रियों को मोटरसाईकिल से उसके पीहर में छोड़कर के चला गया तथा उसके माता पिता से भी कहा कि उसे दहेज नहीं दिया तो वह तुम्हारी लड़की को नही रखेगा दूसरी औरत लाएगा। उसने मुल्जिमान से अपने माता पिता के द्वारा दिया गया स्त्रीधन मांगा तो उसे भी देने से मना कर दिया और उसका स्त्रीधन हड़प कर गए।,इत्यादि।

13- जहां तक प्रकरण में अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 4 गवाह परीक्षित

करवाये गये हैं, जिनमें से सर्वप्रथम गवाह परिवादिया अनिता न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि ससुराल में उसे अच्छे से रखा था। उनके घर गृहस्थी के कामकाज को लेकर कहासुनी हो जाती थी। अब वह उसके पति के साथ उसकी मर्जी से नहीं रहना चाहती। उससे दहेज कौनसी तारीख, वार, दिन, संवत में मांगा, समय उसे याद नहीं है। उससे दहेज की मांग कभी नहीं की, केवल उससे उधार रूपए दिलवाने के लिए कहा था। वह उसकी मर्जी से ससुराल नहीं जाना चाहती इसलिए ही उसने यह दावा किया था।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 भरतबाई एवं पी.डब्ल्यू. 03 देवीलाल है जो कि फरियादिया के माता-पिता हैं। उक्त दोनों गवाहान ने न्यायालय बयान में कथन किया है कि उनकी लड़की ससुराल में सुखी रह रही थी। उनकी लड़की से उनके सामने कभी दहेज की मांग नहीं की। उनके जंवाई ने उनकी लड़की से कहा था कि अदालत में आकर उसका फैसला करो इस कारण उन्होंने यह दावा किया था। उनकी लड़की ने उसके स्त्रीधन की कभी भी दावा करने से पूर्व मांग नहीं की थी।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 पुरूषोतम है जो कि फरियादिया का भाई है जिसे न्यायालय में परीक्षित होने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त गवाह ने जिरह एपीओ में कथन किया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए।

16- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट है कि फरियादिया एवं उसके माता-पिता ने स्पष्ट तौर पर कथन किया है कि फरियादिया अनिता बाई को ससुराल में अच्छे से रखते थे। उनके घर गृहस्थी के कामकाज को लेकर कहासुनी हो जाती थी। फरियादिया से मुल्जिम ने कभी भी स्त्रीधन की मांग नहीं की थी। सभी गवाहों ने स्वीकार किया है कि उनसे दहेज की मांग कभी नहीं की। फरियादिया ने कथन किया है कि वह उसके पति के साथ उसकी मर्जी से नहीं रहना चाहती इसलिए उसने यह दावा किया था। इस प्रकार प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध किया जाना साबित नहीं होता है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.04.2024 से करीब 8-9 वर्ष पूर्व को परिवादिया अनिता से विवाह होने व विवाह के पश्चात् उसका पति होते हुए किसी दिन व किसी समय मौजा कामखेड़ा स्थित स्वयं के निवास पर परिवादिया से दहेज में दो लाख रूपए की मांग को लेकर उसे ताने देकर, मारपीट कर, घर से निकालकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 498ए भा.दं.सं. में साक्ष्य के अभाव में तथा धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18- अतः अभियुक्त महेन्द्र पुत्र जगदीश, निवासी-कामखेड़ा, पुलिस थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़ को धारा 498ए भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में तथा

धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए। प्रकरण में जप्तशुदा सामान प्रकरण की परिवादिया को अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया गया था, जो बाद गुजरने मियाद अपील उसी के पास रहे।

19- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- रूपए की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

20- निर्णय आज दिनांक 18-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.18 04:33:41 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।